न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 388/2015

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 माणक पुत्र भुबारम जाति रबारी निवासी भाटुन्द तहसील बाली		1 सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द, तहसील बाली 2 अनुदेवी पत्नि रूपाराम जाति देवासी निवासी भाटुन्द तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री शंकरलाल गहलोत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 21.12.2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, भाटुन्द द्वारा मिसल संख्या 33/2007–08, संकल्प संख्या 3/13 दिनांक 05.05.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 33 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। नियत तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हुए, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, उस पट्टे की भूमि रास्ते की भूमि है, जो रास्ता प्रार्थी के मकान में आंने जाने हेतु काम में आता है तथा प्रार्थी उक्त भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग वर्षो से करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त भूमि पर कतई कब्जा नही है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है एवं न ही ग्राम सेवक के हस्ताक्षर, तो यह आवेदन पत्र किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया ? पंचों को मौका देखने हेतु मनोनीत किया गया, किन्तु किन पंचों को मनोनीत किया, यह पत्रावली में अंकित ही नही है। सम्पूर्ण कार्यवाही प्रिन्टेड प्रफोर्मा में बन्द कमरे में बैठ कर महज खानापूर्ति की गई है। आपत्ति ईश्तिहार किस दिनांक को जारी किया गया एवं किस स्थान पर, किनके समक्ष चस्पा किया गया, यह स्पष्ट नही है। कानूनन निःशुल्क पट्टा उनको दिया जाता है, जिनका ग्राम में अन्य रहवासीय भूखण्ड नही हो, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के उसी ग्राम में व्यवसाय हेतु दुकान व मकान है एवं गांव में और भी कब्जासुदा व रहवासीय भूखण्ड स्थित है, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टा किसी भी रूप में जारी नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को अपने अधिकार क्षैत्र से परे 2523 वर्गफुट भूमि का पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये है, जो गैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कानूनी है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना किये बगैर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो गैर कानूनी है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, भाटुन्द द्वारा मिसल संख्या 33/2007–08, संकल्प संख्या 3/13 दिनांक 05.05.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 33 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आवेदक अनुदेवी पत्नि रूपाराम द्वारा ग्राम पंचायत भाटून्द के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी कब्जासुदा मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। ग्राम पंचायत द्वारा इस पर दिनांक 05.03.2008 को मिसल कायम कर सचिव को नक्शा बनाने एवं तीन वार्ड पंचों की कमेटी को मौका निरीक्षण करने के आदेश दिये। इसके पश्चात दिनांक 19.3.2008 को मिसल की आदेशिका में पंचो की मौका रिपोर्ट प्राप्त होना दर्शाते हुए मौका रिपोर्ट का विवेचन किया गया है, जबकि जो तथ्य इस दिनांक को आदेशिका में अंकित किये गये है, वे तथ्य पंचों की मौका रिपोर्ट में अंकित ही नही है। इसी दिनांक को एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 21.04.2008 को कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण प्रार्थी को अपने कब्जे के सम्बन्ध में दो गवाहों के बयान दर्ज कराने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 05.05.2008 को नियम 157 (2) के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निःशुल्क पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पति रूपाराम के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायालय (क0ख0) बाली में जो प्रकरण दायर करवाया गया, उसमें न्यायालय द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर द्वारा जो रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 को जिस स्थान का पट्टा जारी किया गया है, वह निर्विवाद रूप से रास्ते पर स्थित होना पाया जाता है। जैर निगरानी पट्टे में दर्ज पडौस एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में अंकित पडौस को compare करने पर इस तथ्य की पुष्टी होती है कि उक्त पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है, जिसे कायम रखना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, भाटुन्द द्वारा मिसल संख्या 33/2007–08, संकल्प संख्या 3/13 दिनांक 05.05.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 33 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली